राजधान सरकार नज़ीम विकास विस्तान

कैमार्क- २०५४१निविधि/३/११ पार्ट

जापुर, दिनानः: . 24.09.1999

ः अदिशाः

नगरीय तेशी में तृष्य भाग के आधारतीय तथा व्यावसाधिक प्रशेजनाई जुपयोंग करने पर पूर्व में समय-राम्य पर निधारित देव दरों के ताबत जारी बादेशों के बित्नमण में राजस्थान विधियां (संगोधन) अध्यादेश, 1999 के बनुसरण में विधार पर ज्यपर रीजन में देय राशि की दरें निम्नानुसार विधारित की जाती हैं:-

। विशिधक स्वामित्व, इकरारनाभे के आधार पर क्य की गई भूमि के लिए देव दर्दे

कन्वर्जन जोन	जीवपु T जीन	बावासीय प्या ४ स्पये प्रत	वाणिचिक प्रयोजन		
)		200 এ• গ• নক	200व•ग•से जीधक	(हपये प्रति द॰ गज्रश	
5					
)	ए।,दी।,बी2	65	90	2,70	
5.	प् 2, बी उ	60	. 80	250	
٠٤. ل	र्ता :	55	bゔ	230	
) 4-	सी 2	50	60 .	200	
<u> </u>	डी 🥄	45	50	150	
े नगर हि जिल्ला है परिधीर की का	ন্দ্ৰ ধী জী এ নীমা অনাৰ্ধ ।	40	40	100-	
चारा	न्स्यम ना परि – डी शिमा ते एवं जीव जिन से गाःगीय क्षेत्र	05	05	10	

व्यातागिय दुकानी पर्त शोहमी के लिए भूमि का उपयोग करने पर देव दरे निम्हान्यार होगी:-

> 2. 111-300 वर्ग पुट 10,000/-3- 301 वर्ग पुट ते उपर 20,000/-

अस्तर औरिक्षम के तहत िनिहत भी मरकार प्रदादर भूगि शिवसहर मुजावन . ह

किंधिनायम 1963 / विधिकताम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत स्थानीय निमान में निहल होने वाली भूगि के लिये दरें निम्नानुसार छोंगी-

3	 		21 1	ी लि	י יצר רי	6	•		
क स्तारी हैं।	77:10:41			_	1 41	1-12	नसंद	the first	
च्या =।	गांवा सीय	9योग्जन।	7.6. 7				_		
, ,	7	ALCI ULA	1000		नारिन	ਾ ਝਾਲ	71.2		-
	200 3. 11.	:	Main	i	1 75	1.2	गो सन हिन	हैत है	₹.
_	 500 g · 11 ·	. 20	ً الإ∘لد • بيان ن	4: 1/2	. , 0	ede 21	ति वर्भ	मिर	
1			- :						
120	1:00						-		151

				211 14: 11-	2 11 421
	1	100			
	2			.125	
	3 .	100		125	375
		90		125	375
	٠	. 80			375
	5	.80		100	300
qf	रिधीय की 🚃	:		100	300
ਸੀ	रधीय सीमा योजनार	50	r	60.	200
-			_		180 .
					•

व्यावसाणिक दुकानी पर्व शोहमों ने लिए भूषि का उपयोग करने वर देव दरे निम्नान्सर बोंगी -

ा. १-११० व.स. 5,000/-2. 111-300 व.व. 10.000/-३०। व. द. रे! उपर 50.000/-

राजरीय भीन् शिखासयक, भराजार, अयाप्त भूमि जित्रका मुखावजा 3. ंदता जा वृद्ध है एं अन्य है भूषित के लिये देशक दरे निम्मानुसार धौंगी :-

आवासीय प्रयोजन हेत् देश दर : वाणि रियक प्रयोजन हेत् देश दर हरको परित तर्ग गजह

उस केंब की आसंध्य बाबासीय दर का 25.7 वर 300 स्वये उस क्षेत्र की सार्वित वाधिस्थिक प्रति तम मान जो एपिक हो। दर का 25% या 1000 हमये प्रति वर्ग गज जो ओंधेन हो।

क्षा प्रमुख भीम में महाराजिन किया जाना अस्वसंत सीमा कि भूतिम ने व्यक्ति को तथा मुगतान की गार्ट गुरावजा राशि से वम्ल की जाने वालः राधिकम त होते। वेती विस्तित अ अहा भारतन किसे भने मुनावजा ही साचि ने का दर्श में भारत हो, तहा हिम्मान में निष्टेंग साथि मुखानन सारित ने

यह भी क्षंडट निया जाता है कि उपरोक्त दरों के आधार पर वृक्त यो क्या कर ति पूर्व में जना कराया गई राशि समायों जित कर ली जावेगी। इसके लिये पूर्व में जना कराय गई राशि क्या कराने अस्तुत करना जोगा। जिन यो जना के समायों में भूमण उधारियों ने सांच जया कराने हेत निर्धारित विशेष पर प्रवित्त जादेशों के तहत पूर्ण राशि जमा करा दी हो तो उनसे नई दरों से राशि नहीं ती जागेगी जोर पदटा जारी कर दिया जावेगा। परन्तु जाधक जना राशि विदे कोई हो तो है तो विशेष पर प्रवित्त कोई हो तो है तो कि प्रकरणों में स्पान्तरण प्रकृता पूर्ण धीकर पदटा विशेष या जावेटन जारी हो गया है, ऐसे प्रकरणों को पुन: नहीं शोला जावेगा।

- ा हो चित क्षेत्र अनुसार तथा की गई समय सीमा में नियमन हेत राशि जमा कराने पर आधेदक को कल देय राशि पर 5% की एट दी जातेगी!
- 2. सम्मार्वासे समाप्त होने ने बाद तथा निधारित उदांश में तांश : जगा नराने पर 15% खाद देय होगा।
- 3. जिन्दु सेंह्या २ वे निर्धारित काहि। तम नियमन हेत् आवेदन नहीं तस्ते पर निर्धारित दर ते दुग्नी दर पर राशि देव होगी।

जाशा है।

श्रीराम मीपा है शोरन उप सित्रव

प्रतिलिपि निम्निसित ने त्यनार्थ पर्व आवश्यन नार्यवासी हेत् प्रेषित है:-

- । विशिष्ठ सहायक, मान्मित्री, नगरीय दिकास एवं आवासन विभाग-
- निजी संगत्, प्रमुख शासन सन्तिन, नगरीय विद्यस-
- उ॰ निजी संतव, प्रमुखं शासन सचिव, सामस्व॰
- 4. जिला क्लेनटर, जापूर.

- 5. सी वय, जमपुर विकास प्राधिकरण, जापुर-
- 6. रिनदेशह, श्रीम एवं भवन कर विभाग, राज. , अपपूर.
- 7. निशान, स्थानीय निमाय विभाग, राज् , जापुर.
- 8. मुख्य नगर नियोजः, राजः, जगाःरः
- १ रिक्षत पत्राचली।